

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन:- 2708739

क्रमांक : रा.स्कू.शिप/जय/SIQE/

/2018-19/ ८९२५

E-mail: rajssa.cce@gmail.com

फैक्स:- 5107388, 2701822

दिनांक : २७/११/१८

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

विषय - SIQE सर्टीफिकेशन के दौरान उपयोग लिए जाने वाले संशोधित प्रपत्र के क्रम में।

सन्दर्भ - SIQE सर्टीफिकेशन दिशा निर्देश-2018-19 क्रमांक 6673 दिनांक 20.09.208

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि SIQE प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु विद्यालयों को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से SIQE सर्टीफिकेशन किया जाना है। SIQE सर्टीफिकेशन की प्रक्रिया की समझ विकसित करने एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार SIQE सर्टीफिकेशन प्रक्रिया को अपनाते हुए विद्यालय को SIQE सर्टीफिकेशन दिलवाए जाने हेतु परिषद कार्यालय द्वारा आपको सन्दर्भित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

SIQE सर्टीफिकेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने व फील्ड से प्राप्त सुझावों एवं मॉनीटरिंग के दौरान प्रेषित किए गए विद्यालय अवलोकन प्रपत्र में प्रश्नों के क्रम को संशोधित किया गया है। संशोधन के दौरान कार्य को सुगम बनाया जा सके।

अतः पत्र के साथ अद्यतन अवलोकन पत्र संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि SIQE सर्टीफिकेशन की प्रक्रिया में संलग्न संशोधित अवलोकन प्रपत्र 2018-19 को अपनाते हुए निर्धारित समयावधि में शतप्रतिशत पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(डॉ प्रियबल्लराम शर्मा)
उपायुक्त - द्वितीय

क्रमांक: रा.स्कू.शिप/जय/सीसीई/2018-19/ ८९२५

दिनांक: २७/११/१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रार.शि./माध्य.शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
6. प्राचार्य, डाइट, समस्त जिले को पत्र प्रेषित कर लेख है कि कार्य की सघन मॉनीटरिंग करते हुए लक्ष्य को पूर्ण करावें।
7. अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
8. कार्यालय प्रति।

(डॉ प्रियबल्लराम शर्मा)
उपायुक्त - द्वितीय

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् SIQE कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षणिक गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण हेतु अवलोकन प्रपत्र

अवलोकित विद्यालय का नाम आवेदन क्रमांक
 संस्था प्रधान का नाम हैड टीचर का नाम
 अवलोकनकर्ता का नाम मोबाइल नं. दिनांक
 विद्यालय डाइस कोड ब्लॉक का नाम
 fr-qrf,q srgtr ols

(1) प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों का विवरण —

क्र.सं	नाम	पद नाम L-1 / L-2 / अन्य	सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में SIQE प्रशिक्षित हैं / नहीं
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

(2) कुल नामांकन (कक्षा 1-5) अवलोकन के दिवस विद्यार्थी उपस्थिति (कक्षा 1-5)

प्रपत्र को अवलोकन एवं सम्बन्धित से चर्चा के आधार पर उचित विवरण दर्ज किया जाना है—

क्रमांक	प्रश्ना	उत्तर
1	कक्षा—कक्षीय स्थिति	कोई एक विकल्प दर्ज करें
1	कक्षा की बैठक व्यवस्था – (1) पंचितबद्ध (3) छोटे उपसमूहों में	(2) अद्वगोलाकार (4) आवश्यकतानुसार बदलाव
2	सीखने—सिखाने का मुख्य तरीका है – (1) केवल पाठ्यपुस्तक या बोर्ड की सहायता से (2) पाठ्यपुस्तक या बोर्ड के साथ संवाद व चर्चा का प्रयोग (3) कार्यपत्रक या वर्कशीट का प्रयोग (4) टीएलएम आधारित गतिविधि का प्रयोग	
3	कक्षा—कक्ष में प्रदर्शन (डिसप्ले) की स्थिति – (1) कोई डिसप्ले नहीं है। (2) डिसप्ले है परन्तु कक्षा एवं विषय से सम्बन्धित नहीं है। (3) कक्षा एवं विषय से सम्बन्धित है। (4) सीखने हेतु डिसप्ले के साथ—साथ बच्चों का कार्य भी लगाया गया है।	
2	शिक्षण अधिगम व्यवस्था एवं प्रक्रिया	हाँ/नहीं
4	विषयवार शिक्षण योजना नियमित रूप से बन रही है?	
5	योजनानुसार कक्षा में गतिविधि की जा रही है?	
6	समूह—2 (कक्षा स्तर से न्यून) के बच्चों के साथ स्तरानुसार काम किया जा रहा है?	
7	बच्चों को व्यक्तिगत रूप से कार्य अभ्यास करने के अवसर मिलते हैं?	

8	बच्चों को उपसमूहों में कार्य करने का अवसर मिलता है?	
9	कक्षा में सभी बच्चों की सक्रिय सहभागिता के लिए प्रयास होता है?	
10	शिक्षण कार्य में बच्चों के अनुभव / पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है?	
11	विषय के साथ जोड़कर कला कार्य करवाया जा रहा है – (1) कला विषय के महत्वता की समझ का अभाव। (2) आंशिक समझ या व्यस्त रखने के लिए। (3) हाँ करवाया जाता है। (4) सभी विषयों में करवाया जाता है।	
12	शिक्षण में योजनानुसार खेल / गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है?	
13	बच्चों के साथ उच्चस्तरीय कौशलों: जैसे – प्रश्न पूछना, तर्क करना, निष्कर्ष निकालना एवं भाषा में जटिलता को सम्प्रेषित कर पाना इत्यादि पर कार्य किया जा रहा है?	
14	बच्चे पुस्तकालय का उपयोग करते हैं?	
15	योजनानुसार सतत आकलन किया जा रहा है?	
16	समीक्षा के निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर समीक्षा की गई है?	
17	निर्धारित समय पर योजना डायरी में समीक्षा कर कक्षा में तदनुसार शिक्षण कार्य किया गया है?	
18	समीक्षा के सभी आवश्यक बिन्दुओं के आधार पर योजना में बदलाव एवं आगामी योजना निर्माण किया गया है?	
3	शिक्षण –आकलन योजना एवं क्रियान्वयन	हाँ/ नहीं
19	बच्चों का आधार रेखा/पदस्थापन आकलन कर शैक्षिक स्तर दर्ज किया है?	
20	समूह–2 (कक्षा स्तर से न्यून) बच्चों के लिए अलग से योजना बनाई जाती है – (1) हाँ (2) नहीं (3) आंशिक	
21	प्रारूप –2 (अधिगम स्तर एवं आवश्यकतानुसार कक्षा में विद्यार्थियों के समूहों की स्थिति एवं लक्ष्य) को निर्देशानुसार पूर्ण कर लिया गया है?	
22	चैकलिस्ट के प्रारूप – 1 (विद्यार्थियों का टर्मवार विवरण) को उपस्थिति व स्तरानुसार पूर्ण कर लिया गया है?	
23	चैकलिस्ट प्रारूप –3 (पूर्व कक्षा से सम्बन्धित बुनियादी दक्षताओं के सापेक्ष रचनात्मक आकलन की स्थिति) में समूह– 2 (कक्षा स्तर से न्यून) के बच्चों की शैक्षिक स्थिति को दर्ज किया गया है – (1) हाँ (2) नहीं (3) आंशिक	
24	पोर्टफोलियों फाईल में विषयवार कार्यपत्रों का नियमित संधारण किया जा रहा है – (1) हाँ (2) नहीं (3) आंशिक	
25	बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य / गृह कार्य/पोर्टफोलियों के पत्रकों की नियमित जाँच की गई है और आवश्यकतानुसार टिप्पणी दर्ज की गई है? (मय दिनांक एवं हस्ताक्षर)	
26	सभी विषयों की चैकलिस्ट में सूचकावार ग्रेड दर्ज किए जा रहे हैं?	
27	बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य/ गृहकार्य की नियमित जाँच एवं सुधारात्मक कार्य दिया जाता है?	
28	वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका के प्रारूप – 2 (पदस्थापन) में निर्देशानुसार बच्चों की स्थिति दर्ज कर ली गई है?	
29	शिक्षक द्वारा वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका में बच्चों की स्थिति/आकलन दर्ज करने का आधार है – (1) रचनात्मक आकलन की समेकित ग्रेड (2) पोर्टफोलियों फाईल (3) शिक्षक अवलोकन एवं योगात्मक आकलन की समेकित ग्रेड (4) उपर्युक्त सभी	
30	योगात्मक आकलन किया गया है – (1) मौखिक (2) लिखित (3) गतिविधि आधारित (4) उपर्युक्त सभी	

4	संस्था प्रधान एवं हैडटीचर की भूमिका
31	विद्यालय की शैक्षिक समीक्षा तथा समस्याओं पर संस्थाप्रधान एवं हैडटीचर, शिक्षकों के साथ बैठक करते हैं?
32	संस्थाप्रधान एवं हैडटीचर द्वारा SIQE से सम्बन्धित दस्तावेजों का समय पर संधारण किया जाता है? (दिशा निर्देश परिपत्र, आदेश अवलोकन प्रपत्र, संस्थाप्रधान हैडबुक आदि)।
33	संस्थाप्रधान एवं हैडटीचर प्राथमिक कक्षाओं का अवलोकन प्रपत्र भरते हैं?
34	संस्थाप्रधान एवं हैडटीचर प्राथमिक कक्षाओं का अवलोकन करते हुए संबलन प्रदान करते हैं?
35	समय विभाग चक्र के अनुसार हैडटीचर प्राथमिक कक्षाओं को अध्यापन कार्य करवाते हैं?
36	संस्थाप्रधान प्राथमिक कक्षाओं को अध्यापन कार्य करवाते हुये अकादमिक संबलन देते हैं?
37	संस्थाप्रधान प्राथमिक कक्षाओं के लिए सामग्री को नियोजित कर उपलब्ध कराते हैं –
38	संस्थाप्रधान द्वारा निदेशालय एवं परिषद् से जारी दिशा –निर्देशों की अनुपालना की जा रही है?
39	संस्थाप्रधान ने विद्यालय वार्षिक योजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं के उन्नयन हेतु (अकादमिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास) कार्ययोजना बनाई है?
40	SIQE समीक्षा बैठक रजिस्टर (बैठक सूचना व एजेण्डा, उपस्थिति, बैठक कार्यवृत्त में निर्णयानुसार आगामी कार्य योजना) संधारित किया जाता है?

हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान मय सील